



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/1014 30.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: कूरियर निर्यात के लिए प्रति खेप मूल्य सीमा को हटाने हेतु एफटीपी 2023 के पैरा 9.05 में संशोधन - के संबंध में।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने एफटीपी 2023 (कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से निर्यात) के पैरा 9.05 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना संख्या 67/2025-26 दिनांक: 27 मार्च 2026 जारी की है, जिसमें कूरियर निर्यात के लिए प्रति खेप मूल्य सीमा को हटा दिया गया है, जो 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ
पंजीकृत कूरियर के माध्यम से निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा/विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात की अनुमति है। हालांकि, ऐसी वस्तुओं की निर्यात योग्यता को आईटीसी (एचएस) में अधिसूचित एफटीपी/निर्यात नीति के अनुसार विनियमित किया जाएगा। कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात की मूल्य सीमा प्रति खेप 10,00,000 रुपये होगी।	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा/विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात की अनुमति है। हालांकि, ऐसी वस्तुओं की निर्यात योग्यता को आईटीसी (एचएस) में अधिसूचित एफटीपी/निर्यात नीति के अनुसार विनियमित किया जाएगा। कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात के लिए प्रति खेप कोई मूल्य सीमा निर्धारित नहीं है।

इस अधिसूचना का प्रभाव : कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात के लिए प्रति खेप मूल्य सीमा 1 अप्रैल , 2026 से वापस ले ली जाएगी।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत अधिसूचना यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260330115856.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल